

कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर


कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त नियम 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 14 (88) FD (Rules) 2008-I Date 31-12-2009 एवं नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 15 (1) FD / Rules / 2017 Date 30-10-2017, 09-12-2017 के अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों के आधारित केरिगर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत उन्नतिकरण का लाभ निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :-

- 1 कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है/नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: F 15(1)FD/Rules/ 2017 Date 30.10.2017 एवं 9.12.2017 में पे मैट्रिक्स लेवल नो प्राप्त कर रहा है।
- 2 उपरोक्त स्वीकृति वित्तीय उन्नतिकरण के अन्तर्गत वेतन, ग्रेड वेतन, पे मैट्रिक्स लेवल का निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
- 3 संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
- 4 संबंधित कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करें।
- 5 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित /लंबित नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।
- 6 पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को गिजवातें हुए इनका वेतन आदेश क्रमांक प.20(1)एफ.डी. गुप-2/92 (आर.पी.एस.सी. 89-11/96) दिनांक 04.12.96 के अनुसार किया जावे।
- 7 कार्मिक के विरुद्ध वेतन से संबंधित किसी प्रकार की वसूली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
- 8 कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा प्रमाण पत्र होने के आधार पर ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि का वा.का.मू. में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वा.का.मू. (A.C.R) प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधन कर दिया जायेगा।
- 9 अनुदानित कार्मिकों को एसीपी का नगद लाभ राज्य सरकार में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। दिनांक 30.06.2011 से पूर्व का नगद लाभ पूर्व अनुदानित संस्था से देय होगा।
- 10 कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित या प्रक्रियाधीन है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी (Non- Effective) होंगे।

संलग्न सेवा पुस्तिका:- क्र0स0सेतक।



(घमेश्वर कुमार जोशी)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
बीकानेर संभाग बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/ 155-158

दिनांक : -10/08/2020

- 1 श्रीमान् निदेशक महोदय, माशि/प्राशि, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- 3 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- 4 संबंधित सीबीईईओ कार्यालय.....।
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक श्री.....।
- 6 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
बीकानेर संभाग बीकानेर

कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/

155-158
कार्यालय आदेश

दिनांक : 10/08/2020

क्र० सं०	नाम कार्मिक सर्व स्त्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथी/चयन तिथी	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित पे बैंड / ग्रेड पे/पे मेट्रिक्स लेवल न०	स्वीकृति दिनांक	एसीपी में स्वीकृत पे बैंड / ग्रेड पे / पे मेट्रिक्स लेवल न०
1	मन्जु राठौड	व.अ.	रामावि, शाला न. 5 उरता बारी के बाहर, बीकानेर	14.09.1992	27 वर्ष	एल-12	14.09.2019	एल-12
2	अशोक कुमार रामावत	व.अ.	रामावि, बनियां, नोखा, बीकानेर	31.03.1993	27 वर्ष	एल-12	31.03.2020	एल-12
3	प्रभु राम जाट	व.अ.	राउप्रावि, रेलवे स्टेशन, श्रीदुर्गरगढ़, बीकानेर	12.05.1993	27 वर्ष	एल-12	12.05.2020	एल-12
4	सुधा सांखला	व.अ.	राउमावि, भोलार, श्रीकोलायत, बीकानेर	07.07.1997	18 वर्ष	एल-11	07.01.2020	एल-12
5	रविन्द्र कुमार ओझा	व.अ.	रामावि, चकजोड़, लूणकरनसर, बीकानेर	14.09.1992	27 वर्ष	एल-12	14.09.2019	एल-12

नोट- क्र.स. 04 पर अंकित कार्मिक की दिनांक 10.07.1997 से 08.01.2001 तक की सेवा अवधि को शून्य काल माना गया है एवं एक वेतन वृद्धि संश्लेषी प्रभाव से श्रेक जाने के कारण 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 07.01.2020 से स्वीकृत की गई है।

www.rajteachers.com



(रविन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
बीकानेर संभाग, बीकानेर

1520/30/26-

155-158